प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी,2017**

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि के आहरण की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-144/सम्प्रेक्षा/लो0ग्रा0आ0यो0/2016, दिनांक-02 अगस्त,2016 के क्रम में पत्र संख्या-1043/सम्प्रेक्षा/लो0ग्रा0आ0यो0/2016-17, दिनांक-15 सितम्बर,2016 एवं पत्र जी0ओ0-94/सम्प्रेक्षा/लो0 ग्रा0आ0यो0/2016-17, दिनांक-06 अक्टूबर,2016 एवं निदेशक, यू.पी. नेडा के पत्र संख्या-7711/यू.पी.नेडा-लो0आ0पावर पैक-5/2013-14 दिनांक 25.01.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) स्थापना हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में जमा बतायी गई धनराशि रू0 1056.05874 लाख को आहरति करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त अनुरोध के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि रू0-10,56,05,874.00 (रूपये दस करोड़ छप्पन लाख पांच हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र) निम्नलिखित शर्तो के साथ उक्त धनराशि **रू0-10,56,05,874.00 (रूपये दस करोड़ छप्पन लाख पांच हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र)** जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 से आहरित/समायोजित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पी0एल0ए0 में अवशेष धनराशि की उपलब्धता व शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(2) पी0एल0ए0 से आहरित कर प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा प्रश्नगत धनराशि कार्यदायी संस्था को अग्रिम दिये जाने की दशा में शासन से परामर्श/सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) क्रय किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता का होगा।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(7) आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च,2017 तक अवश्य कर लिया जायेगा। समायोजन का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(8) आहरित की जा रही धनराशि का व्यय योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) पी0एल0ए0 से आहरित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद/योजना में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य समक्ष प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि समय से प्रत्येक दशा में उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आवासों में स्थापित किए गये सोलर पावर पैक की स्थापना की पुष्टि हेतु स्थलीय सत्यापन का प्रमाण-पत्र भी शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) पी0एल0ए0 से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि सोलर पावर पैक की स्थापना में वास्तविक रूप से व्यय हेतु आवश्यक होगी।

(11) पी0एल0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत योजना हेतु निर्दिष्ट शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(12) आहरित की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक सीधे जिम्मेदार होंगे।

(13) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(14) वित्त नियंत्रक भुगतान से पूर्व बिल में अंकित धनराशि के सही होने की पुष्टि अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(15) प्रदेश में वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया के चलते चुनाव आचार संहित लागू है। आयुक्त, ग्राम्य विकास के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पंजी संख्या-यू0ओ-ई-2-1233/दस-2016 दिनांक-13 जनवरी, 2017 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-02/2017/1410(1)/38-4-2016, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
3- निदेशक, यूपी नेडा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या-7711/यू.पी.नेडा-लो0आ0पावर पैक-5/2013-14 दिनांक 25.01.2017 के संदर्भ में।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
5- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
6- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लख्नऊ ।
7- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
8- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलक्ट्रेट, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
13- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
14- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
15- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।